

प्रपत्र-14

सरकारी कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु पर परिवार पेंशन की स्वीकृति के लिये
आवेदन-पत्र का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम
- (अ) विधवा/विधुर
- (ब) यदि मृत व्यक्ति ने अपने पीछे संतान या संतानें छोड़ी हो तो संरक्षक का नाम

2. मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनर की जीवित विधवा/विधुर एवं संतान के नाम व आयु:-

क्र.सं.	नाम	मृत व्यक्ति के साथ सम्बन्ध	जन्म की तारीख इस्वी सन्
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

3. मृत पेंशनर का नाम व उसके पी.पी.ओ. की संख्या
4. सरकारी कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु की तारीख
5. कार्यालय/विभाग जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनर ने अन्त में सेवा की थी
6. यदि आवेदक संरक्षक है, तो उसकी जन्म की तारीख तथा मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनर के साथ सम्बन्ध
- (क) यदि आवेदक कोई विधवा/विधुर है तो सेवा पेंशन की राशि जो वह पति/पत्नि की मृत्यु की तारीख को प्राप्त करेगा :-
7. आवेदक का पूर्ण पता :-
8. पेंशन व ग्रेज्यूटी के भुगतान का स्थान (कोषगार, उप कोषागार या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा
9. संलग्नक :-
(अ) प्रपत्र 14 क में विशिष्टियों का ब्यौरा तीन प्रतियों में।
(ब) संतानों की जन्म तिथि की तारीख को दर्शाते हुए आयु प्रमाण पत्र (दो अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ) यह प्रमाण पत्र नगर परलिका प्राधिकारियों के या स्थानिय पंचायत के या मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रधान के यदि संतान उस स्कूल में पढती हो या होनी चाहियें। (यह सूचना ऐसी संतान या संतानों के बारे में दी जानी चाहिये, जिसके जन्म की तारीख के विवरण कार्यालय अध्यक्ष के पास न हो।
(स) मृत्यु का प्रमाण पत्र।
(द) अवयस्क के मामले में संरक्षकता प्रमाण पत्र।
10. उल्लेख कीजिए कि क्या परिवार पेंशन अन्य स्त्रौत से जैसे :- मिलिट्री, या केन्द्र या अन्य राज्य सरकार से एवं/या केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वशासी निकाय/स्थानिय निधि से अनुज्ञेय है-
11. आवेदक के हस्ताक्षर या बाये हाथ के अगूठे की निशानी :-
12. अनुप्रमाणितकर्ता :-

नाम

पूण पता

हस्ताक्षर

1.

2.

13. साक्षी :-

1.

2.

टिप्पणी :- अनुप्रमाणन दो राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों द्वारा या उस कसबे गांव या परगने के जिसमें आवेदक निवास करता है, दो या अधिक सम्मानीय व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए।